

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./01/2011

दर्ज दिनांक:-2011

- |            |      |                  |
|------------|------|------------------|
| 1. बुद्धी  | पता— | .....प्रार्थी    |
|            | बनाम |                  |
| 2. लक्ष्मण | पता— | .....अप्रार्थीगण |

उपस्थित:  
राजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक  
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.03.2019

वकील प्रार्थीगण उप./ पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2011 को रु. 200/- की कोस्ट पर स्वीकार किया गया था। किन्तु लगभग 7 वर्ष बाद भी कोस्ट अदा नहीं की गई। कोस्ट अदायगी हेतु कई अवसर लगातार दिये जा रहे हैं। दिनांक 10.03.2016 को कोस्ट अदा न करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की भी चेतावनी दी गई किन्तु पालना नहीं की गई है। प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 09-नि.5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अक्षय गोदरा, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)  
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर